



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092022-239192
CG-DL-E-28092022-239192

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4383]
No. 4383]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ ASVINA 6, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

का.आ. 4573(अ).— केन्द्रीय सरकार, चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 के नियम 19 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2237(अ), तारीख 1 जून, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, मद संख्यांक (5) और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियाँ के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम	चिकित्सा युक्ति का प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)
“6.	क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़	डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक सिरिंज, डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक सुई, डिस्पोजेबल परफ्युजन सेट, कैथेटर, आईवी कैनुला, स्काल्प वीन सेट, लिगेचर्स, सूचर्स, स्टैपलर्स, सर्जिकल ड्रेसिंग, अम्बेलिकल टेप्स।”।

[फा. सं. एक्स.11035/22/2018-डीआर]

डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्यांक का.आ. 2237(अ), तारीख 1 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2022

S.O. 4573(E).— In pursuance of the provisions of sub-rule (2) of rule 19 of the Medical Devices Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following amendment to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number S.O. 2237(E), dated 1st June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), namely:—

In the said notification, in the Table, after item number (5) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

Serial Number	Name of Laboratory	Category of medical device
(1)	(2)	(3)
“6.	The Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh	Disposable Hypodermic Syringes, Disposable Hypodermic Needles, Disposable Perfusion Sets, Catheters, I.V. Cannulae, Scalp Vein Set, Ligatures, Sutures, Staplers, Surgical Dressing, Umbilical Tapes.”.

[F. No. X.11035/22/2018-DR]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 2237(E), dated the 1st June, 2018.